कीमत - रुपये 1000/-

साप्ताहिक "रोज़गार और निर्माण" के मुद्रण के लिए निविदा

मध्यप्रदेश माध्यम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
फोन : 2551330, 4281330

साप्ताहिक रोज़गार और निर्माण के मुद्रण के लिये निविदा प्रपत्र

मध्यप्रदेश माध्यम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल : 462 011

टेलीफोन क्र. : 0755-2551330, 4281330

निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र)
धरोहर राशि (ई.एम.डी.)	:	रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
निविदा प्रपत्र विक्रय शुरू करने की तिथि	:	25.06.2020 पूर्वान्ह 10.30 बजे
निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि	:	18.07.2020 शाम 5.30 बजे
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	:	19.07.2020 अपरान्ह 3.00 बजे
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	:	19.07.2020 अपरान्ह 3.30 बजे

साप्ताहिक ''रोज़गार और निर्माण'' के मुद्रण के लिये निविदा
नियम एवं शर्तें

1. मध्यप्रदेश माध्यम साप्ताहिक **रोज़गार और निर्माण** का प्रकाशन करता है। सामान्यतः इसमें 8 से 48 पृष्ठ होते हैं। इस साप्ताहिक समाचार पत्र के मुद्रण के लिए भोपाल शहर में स्थित रोटरी ऑफसेट मुद्रकों से निविदायें आमंत्रित हैं। निविदा की शर्तें एवं कार्य का विवरण निम्नानुसार है-

समाचार पत्र का आकार	-	41 से.मी. x 54.6 से.मी.
मुद्रण क्षेत्र	-	38 से.मी. x 25 से.मी.
फोल्ड होने के पश्चात् आकार	-	41 से.मी. x 27.3 से.मी.

2. **रंग** - आद्योपान्त एक (काला) एवं 08 पृष्ठ बहुरंगी।
3. **मुद्रण प्रक्रिया** - ऑफसेट रोटरी।
4. **मुद्रण सामग्री** - मुद्रण के लिये सीडी/आर्ट वर्क तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें कम्पोज्ड मैटर, फोटोग्राफ्स और स्केच आदि होंगे। यह आर्ट वर्क पेपर पर होगा। मुद्रक को पेज स्केन करके प्लेट बनाना होगी और उसके पश्चात् ऑफसेट पद्धति की प्रक्रियाओं से मुद्रण करना होगा। मुद्रण के पश्चात दी गई समस्त सामग्री आर्ट वर्क, सीडी, डमी आदि मध्यप्रदेश माध्यम को वापस करनी होगी।
5. मुद्रण सामग्री प्रत्येक शनिवार को सामान्यतः रात्रि 12 बजे तक मुद्रक को दी जायेगी, जो मुद्रक को मध्यप्रदेश माध्यम के कार्यालय से प्राप्त करना होगी। मुद्रक को प्रत्येक सप्ताह में दिये जाने वाले आदेश के अनुसार इसे मुद्रित कर रविवार प्रातः 07 बजे से प्रतियों का प्रदाय शुरू करना होगा एवं प्रातः 09 बजे तक सम्पूर्ण प्रतियाँ मध्यप्रदेश माध्यम (प्रकाशक) के प्रतिनिधि को उसके कार्यालय में शर्त क्रमांक 7 के अनुसार उपलब्ध कराना होगा।

6. कागज -

(क) मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा मुद्रक को न्यूज प्रिंट पेपर मानक आकार में दिया जायेगा।

(ख) न्यूज प्रिंट के पृथक सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था मुद्रक के प्रेस परिसर में ही मुद्रक को करनी होगी। भंडारण पर माध्यम का नियंत्रण रहेगा और माध्यम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही न्यूज प्रिंट मुद्रण के लिये भंडार से निकाला जायेगा। भंडार के ताले की एक चाबी मध्यप्रदेश माध्यम को देना होगी। अनुबंध अवधि में भंडारित न्यूज प्रिंट का बीमा कराने की जिम्मेदारी मुद्रक की होगी। सामान्यतः चार अंकों के लिये लगने वाले कागज के भंडारण हेतु मुद्रण अनुबंध के अनुसार बीमा कराकर बीमा कम्पनी के कागजात प्रकाशक को उपलब्ध कराने होंगे।

(ग) कागज उपयोग की गणना मुद्रक को उपलब्ध कराये जाने वाले कागज के ग्रामेज अर्थात् जी.एस.एम. के आधार पर होगी, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

(घ) मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा क्रय किये जाने वाले कागज का परिवहन मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा ही कराया जायेगा। कागज को ट्रक से अनलोडिंग कराने का कार्य मुद्रक द्वारा कराया जायेगा एवं इस पर होने वाला व्यय मुद्रक द्वारा वहन किया जायेगा।

(ङ) प्रत्येक अंक में व्यय हुये न्यूज प्रिंट के शुद्ध वजन पर मुद्रक को न्यूज प्रिंट के @7 प्रतिशत व्यर्थ व्यय (Wastage) दी जायेगी। पेपर के शुद्ध वजन की गणना की जायेगी।

7. रोज़गार और निर्माण के 48 पृष्ठों की दशा में 100-100 मुद्रित प्रतियों के बंडल एवं पृष्ठों की संख्या इससे भिन्न होने की दशा में कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार बंडल बनाना होंगे और मुद्रक को स्वयं के व्यय पर मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को प्रिंटिंग मशीन पर लगे काउंटर द्वारा गिनकर प्रदाय करना होगा। मध्यप्रदेश माध्यम को प्रदान की गई प्रतियों का प्रति-परीक्षण (क्रास चेकिंग) किया जायेगा। जितनी प्रतियाँ कम होंगी उनकी कटौती मुद्रण देयकों से की जाएगी। मुद्रक द्वारा कब एवं किस समय कितनी-कितनी प्रतियाँ प्रदाय की गईं, इसका विवरण देयक के साथ संलग्न करना होगा।

8. मुद्रक को मुद्रण कार्य करने वाले कर्मचारियों के ईएसआई, भविष्यनिधी के भुगतान संबंधी अद्यतन जानकारी संलग्न करना होगा।

9. मुद्रक को संस्था के पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के अंकेक्षित अंतिम लेखे (लाभ-हानि खाता एवं बेलेन्स सीट) संलग्न करना होगा।

10. मुद्रक को जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगी।

11. मुद्रक को पूर्व तीन वित्तीय वर्षों की आयकर विवरणी संलग्न करना होगी।

12. मुद्रक को संस्था के पूर्व के तीन वित्तीय वर्ष में औसत 50 लाख का टर्न ओव्हर होने संबंधी चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

13. सफल निविदाकार को सूचना देने के 7 दिन के भीतर कुल रुपये पाँच लाख मात्र की प्रतिभूति राशि नगद/बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देना होगी।

14. धरोहर राशि-

निविदा प्रपत्र के साथ, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किये गये रुपये 50,000/- मात्र का बैंक डिमांड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा तथा सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में परिवर्तित की जायेगी और बकाया प्रतिभूति राशि 4.50 लाख रुपये शर्त क्रमांक 8 के अनुसार जमा करना होगी। इस धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

15. मुद्रक और प्रकाशक के बीच मुद्रण कार्य के संबंध में संलग्नानुसार अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिये वैध रहेगा। अनुबंध की अवधि को विद्यमान निबंधनों और प्रतिबंधों पर पारस्परिक सहमति के द्वारा मुद्रक के संतोषजनक कार्य संपादन के अधीन इसे एक वर्ष आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

16. माध्यम द्वारा कागज की आपूर्ति यथासमय की जायेगी परन्तु यदि किसी अपरिहार्य कारण (प्राकृतिक आपदा, दैवीय प्रकोप आदि) से कागज नहीं आ पाता है तो मुद्रक को कागज की व्यवस्था करना होगी। जितना कागज आपात समय में लगाया जायेगा, उसकी प्रतिपूर्ति प्रकाशक द्वारा की जायेगी।

17. आवश्यकता पड़ने पर प्रकाशक द्वारा इस तरह के किसी अन्य कार्य को भी इन्हीं दरों पर मुद्रक से कराया जा सकता है।

18. साप्ताहिक रोज़गार और निर्माण का प्रकाशन 48 पृष्ठों से अधिक में होने की दशा में इसका मुद्रण एक से अधिक भागों में होगा। इस कारण जिस भाग का मुद्रण रंगीन/श्वेत श्याम रंग में होगा, उसका भुगतान परिशिष्ट में दर्शायी गई सूची की दरों पर किया जावेगा।

अन्य आवश्यक शर्तें

1. इस कार्य के लिये उन मुद्रकों को ही निविदा प्रस्तुत करने की पात्रता होगी जिनके पास एक ही परिसर में सीटीपी यूनिट, प्रोसेसिंग उपकरण और ऐसी ऑफसेट रोटरी यूनिट है जो एक बार में 48 पृष्ठ जिसमें 8 पृष्ठ रंगीन भी मुद्रित कर सके एवं स्वचलित रूप से कटिंग और फोल्डिंग भी कर सके। इसके अतिरिक्त मुद्रण परिसर में स्वयं का जनरेटर सेट होना भी आवश्यक है, ताकि विद्युत अवरोध की दशा में भी मुद्रण कार्य प्रभावित नहीं हो। निविदा के साथ मशीनरी, जिसको कार्य के लिये उपयोग किया जाना है, की पूर्ण सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मशीनरी के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र भी निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता के पास उपलब्ध मशीनरी का निरीक्षण एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्य सौंपे जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

2. सफल निविदाकर्ता को कार्य सौंपने के पूर्व मुद्रणालय की क्षमता आंकने के लिये मध्यप्रदेश माध्यम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा मुद्रणालय का निरीक्षण किया जाएगा।

3. मुद्रक को प्रेस परिसर में ही मुद्रण के समय मध्यप्रदेश माध्यम के 4 अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने एवं टेलीफोन आदि की समुचित व्यवस्था करना होगी।

4. मुद्रक को प्रति सप्ताह मुद्रण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं मुद्रण कार्य समाप्ति के तुरन्त बाद मध्यप्रदेश माध्यम के अधिकृत प्रतिनिधि को सूचना देना होगी।

5. मध्यप्रदेश माध्यम के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी भी समय किसी भी अंक से प्रकाशन को निरस्त/स्थगित कर सके और किसी भी अंक की प्रतियों अथवा पृष्ठों की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी कर सके।

6. अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे हड़ताल, दंगा आदि की स्थिति में मुद्रण कार्य करना मुद्रक के लिए संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में समाचार पत्र अन्य मुद्रक से मुद्रित कराने के लिए मध्यप्रदेश माध्यम स्वतंत्र होगा, जिसका अतिरिक्त व्यय भार मुद्रक को वहन करना होगा।

7. मुद्रण/प्रतियों के प्रदाय में विलम्ब होने पर निम्नानुसार शास्ति स्वयमेव लागू हो जायेगी और तदनुसार मुद्रक के बिल में से कटौतियाँ कर ली जायेंगी। किसी भी दशा में त्रुटिपूर्ण/स्तरहीन प्रतियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा और इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण/स्तरहीन प्रतियां समाचार-पत्र के रूप में बाजार में बेचने का अधिकार मुद्रक को नहीं होगा। मुद्रण की गुणवत्ता स्तरीय नहीं होने की दशा में भी देयक से आनुपातिक कटौती की जाएगी। मुद्रण और प्रदाय में विलम्ब होने से कटौतियाँ निम्नानुसार होंगी-

   अ. 24 घंटे तक के विलम्ब पर संबंधित अंक के देयक में से - 30 प्रतिशत
   ब. 24 घंटे के बाद से 48 घंटे तक के विलंब पर - 50 प्रतिशत
   स. 48 घंटे के बाद 100 प्रतिशत (कोई भुगतान नहीं किया जायेगा)

   मध्यप्रदेश माध्यम के द्वारा मुद्रण सामग्री देरी से देने के कारण विलम्ब होने पर इस अवधि की पूर्ण छूट रहेगी।

8. सभी खर्चे शामिल करके निर्धारित प्रपत्र में दरें देना होंगी और प्रतियों तथा पृष्ठों की संख्या कम होने या बढ़ने के परिणामस्वरूप आने वाले अन्तर को भी दर्शाना होगा। उक्त दरों के अतिरिक्त केवल GST का भुगतान निर्धारित दर पर किया जायेगा। मुद्रण देयक के साथ GSTR1 की प्रति संलग्न करना होगी।

9. साप्ताहिक रोज़गार और निर्माण द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स नई दिल्ली (RNI) एवं विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय नई दिल्ली (DAVP) को भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज/विवरणी आदि पर मुद्रक को मुद्रक की हैसियत से हस्ताक्षर करना होगा।

10. अंतिम तिथि- निविदा प्रपत्र दिनांक 18.07.2020 सायंकाल 5.30 बजे तक विक्रय की जायेगी। भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांक 19.07.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा किया जाना होगी और उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेंगी।

11. आपसी विचार-विमर्श एवं सहमति से प्रकाशन को और अच्छा बनाने हेतु यदि कोई सुझाव आता है तो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम की अनुमति से लागू किया जायेगा।

12. मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा जितनी प्रतियों के मुद्रण का आदेश दिया जायेगा उससे एक भी प्रति का मुद्रण कम या ज्यादा नहीं करने की जिम्मेदारी मुद्रक की होगी। मुद्रक समस्त प्रतियों को मुद्रण कर मध्यप्रदेश माध्यम को उपलब्ध करायेगा।

13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आर्बिट्रेटर मध्यप्रदेश माध्यम के प्रबंध संचालक होंगे एवं उनका निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा।

14. किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

15. निविदा की शर्तों के संबंध में किसी प्रकार की कोई - प्रति शर्तें (Counter Conditions) स्वीकार नहीं की जायेंगी।

16. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा :-

    (अ) एक नंबर लिफाफे में धरोहर राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट एवं मशीन जो कि मुद्रण कार्य के लिए उपयोग में लायी जायेगी- से संबंधित समस्त जानकारी एवं उससे संबंधित दस्तावेज के साथ अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगी।

    (ब) दो नंबर लिफाफे में केवल दरें निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'अ' में रंग आद्योपान्त काला एवं परिशिष्ट 'ब' में 8 पृष्ठ बहुरंगी मुद्रण के लिए देना होंगी।

17. निविदा खोलते समय पहले लिफाफा क्रमांक एक खोला जायेगा, उसमें धरोहर राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट, मशीनों की सूची एवं संबंधित समस्त दस्तावेज आदि पूर्ण जानकारी होने पर ही उस निविदाकर्ता का लिफाफा खोला जायेगा। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिफाफा क्रमांक एक एवं लिफाफा क्रमांक दो अंकित करना अनिवार्य है। दोनों लिफाफों पर निविदाकर्ता का पूर्ण नाम, पता आदि की जानकारी भी अंकित किया जाना अनिवार्य है।

18. मध्यप्रदेश माध्यम के प्रबंध संचालक को किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार रहेगा। इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें और संलग्न अनुबंध की सभी शर्तें सफल निविदाकार द्वारा स्वीकार की गई, मानी जावेंगी।

संलग्न - परिशिष्ट

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश माध्यम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-**462011**

फोन - **2551330, 4281330**

रोज़गार और निर्माण के मुद्रण के लिये निविदा

1.	निविदाकर्ता का नाम	:	....
2.	पता	:	....
			....
			....
3.	दूरभाष क्रमांक	:	....
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम	:	....
	(a) दूरभाष क्रमांक	:	....
	(b) कार्यालय	:	....
	(c) निवास	:	....
	(d) मोबाइल क्र.	:	....
5.	ई.एम.डी. की राशि का विवरण	:	डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक............ रु. 50,000/- बैंक का नाम ....
6.	आयकर पैन क्रमांक (PAN)	:	....
7.	G.S.T. No.	:	....
8.	e-mail - ID	:	....

संलग्न दस्तावेज

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

दिनांक : ....

स्थान : ....

(मोहर)

परिशिष्ट

रंग आद्योपान्त एक (काला)

दर– मुद्रण, फोल्डिंग एवं बण्डल सहित प्रदाय करने की दरें

मुद्रित प्रतियों की संख्या	एक रंग प्रति पृष्ठ	मल्टीक्लर प्रति पृष्ठ
5,001 से 20,000 तक	....	....
20,001 से 50,000 तक	....	....
50,001 से 75,000 तक	....	....
75,001 से 1,00,000 तक	....	....
1,00,001 से अधिक	....	....

साप्ताहिक 'रोज़गार और निर्माण' का मुद्रण करारनामा

यह अनुबंध पत्र दिनांक .... को भोपाल में मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा ...., (जो कि आगे चलकर पक्षकार क्र. 1 कहलायेंगे जिनमें उनके उत्तराधिकारी तथा उनके द्वारा नियत व्यक्ति सम्मिलित होंगे) और मेसर्स .... द्वारा कम्पनी के संचालक मंडल द्वारा अधिकृत संचालक, जिनका नाम साप्ताहिक समाचार पत्र की प्रिंट लाइन में प्रकाशक एवं मुद्रक के रूप में अंकित है, ... (जो कि आगे चलकर पक्षकार क्र. 2 कहलायेंगे, जिनमें कारोबार में उनके उत्तराधिकारियों एवं अनुमति प्राप्त नियत किये गये व्यक्तियों को सम्मिलित माना जायेगा) के मध्य हिन्दी साप्ताहिक पत्र "रोज़गार और निर्माण" के मुद्रण हेतु निष्पादित किया गया।

1. यह कि पक्षकार क्र. 1, मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम है, जो कि हिन्दी साप्ताहिक "रोज़गार और निर्माण" का प्रकाशन करता है, के मुद्रण का कार्य मेसर्स .... को इस अनुबंध पत्र की शर्तों के साथ सौंपा है और पक्षकार क्र. 2 ने उक्त साप्ताहिक रोज़गार और निर्माण को मुद्रण करने की सहमति प्रदान की है। पक्षकार क्र. 1 द्वारा इस तरह का अन्य कार्य भी अनुसूची में लिखी दरों पर कराया जा सकता है, जिसकी पक्षकार क्र. 2 ने सहमति प्रदान की है।

2. यह कि पक्षकार क्र. 1 उक्त पत्र का हिन्दी में और कुछ भाग अंग्रेजी में मुद्रण के लिए पक्षकार क्र. 2 को नियुक्त कर रहा है।

3. यह कि पक्षकार क्र. 1 मुद्रण की पूर्ण संतुष्टि के बाद अनुसूची में लिखी दरों के अनुसार पक्षकार क्र. 2 को भुगतान करेगा।

.... (2)

4. यह कि मुद्रित की जाने वाले साप्ताहिक रोज़गार और निर्माण की प्रतियों की संख्या तथा पेज संख्या पक्षकार क्र. 1 द्वारा निश्चित किये अनुसार तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार पक्षकार क्र. 2 द्वारा मुद्रित कर प्रदाय करनी होगी।
5. यह कि अनुसूची इस अनुबंध पत्र का अंग है। पक्षकार क्र. 2 को उक्त अनुसूची में दर्शाये गये प्रभार एवं जीएसटी के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार देय नहीं होगा।
6. यह कि उक्त पत्र के मुद्रण हेतु अनुसूची में अखबारी कागज का मूल्य सम्मिलित नहीं है। कागज पक्षकार क्र. 1 प्रदाय करेगा।
7. यह कि समाचार पत्र के प्रत्येक पृष्ठों का आकार 41 से.मी. × 54.6 से.मी. तथा मुद्रण क्षेत्र 38 से.मी. × 25 से.मी. होगा।
8. यह कि समाचार पत्र आद्योपान्त एक रंग (काला) एवं 4, एवं 8 पृष्ठ बहुरंगी में मुद्रित होगी एवं मुद्रित की जाने वाली संपूर्ण सामग्री पक्षकार क्र. 1 द्वारा पक्षकार क्र. 2 को प्रति सप्ताह संलग्न निविदा विवरण की कंडिका-5 के अनुसार मध्यप्रदेश माध्यम के कार्यालय, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) में प्रदाय की जायेगी और समाचार पत्र का प्रोसेसिंग, मुद्रण तथा प्रदाय इस करारनामे की शर्तों के अनुसार पूर्ण करना होगा।
9. **कागज**

(क) यह कि पक्षकार क्रमांक-2 को पक्षकार क्रमांक-1 द्वारा न्यूज प्रिन्ट मानक आकार में दिया जायेगा।

(ख) यह कि न्यूज प्रिन्ट के सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था पक्षकार क्रमांक-2 के प्रेस परिसर में ही पक्षकार क्रमांक-2 को करना होगी। भण्डारण पर पक्षकार क्रमांक-1 का नियंत्रण रहेगा और पक्षकार क्र. 1 के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही न्यूज प्रिन्ट मुद्रण के लिए भण्डार से निकाला जायेगा। भण्डार की एक चाबी पक्षकार क्रमांक-1 के पास रहेगी। अनुबंध अवधि में भण्डारित न्यूज प्रिन्ट का बीमा करने की जिम्मेदारी पक्षकार क्र.-2 की होगी।

(ग) पक्षकार क्रमांक-1 द्वारा क्रय किए जाने वाले कागज का परिवहन पक्षकार क्र. 1 द्वारा कराया जायेगा, किन्तु कागज को ट्रक से अनलोडिंग करवाकर भंडार में व्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से रखने का दायित्व एवं इस पर होने वाला व्यय पक्षकार क्रमांक-2 को वहन करना होगा।

(घ) यह कि प्रत्येक अंक के मुद्रण में व्यय हुये न्यूज प्रिन्ट के शुद्ध वजन पर पक्षकार क्र. 2 को न्यूज प्रिन्ट के सात प्रतिशत व्यर्थ व्यय (wastage) की अनुमति दी जायेगी।

10. यह कि समाचार पत्र का मुद्रण 48 पृष्ठों में मुद्रित करने की दशा में पक्षकार क्रमांक-2 को मुद्रित प्रतियों के 100 प्रतियों के बण्डल एवं पृष्ठों की संख्या इससे भिन्न होने की दशा में पक्षकार क्रमांक-1 द्वारा दिये निर्देशानुसार बंडल बनाना होंगे और पक्षकार क्रमांक-2 के व्यय पर पक्षकार क्रमांक-1 द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के सामने प्रिंटिंग मशीन पर लगे काउन्टर द्वारा गिनकर प्रदाय करना होगा। जितनी प्रतियाँ कम प्राप्त होंगी उनकी कटौती मुद्रण देयकों से की जायेगी। प्रदान की गई प्रतियों का पक्षकार क्र. 1 के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति-परीक्षण (क्रास चेकिंग) किया जायेगा। प्रेस से कब-कब कितनी-कितनी प्रतियां पक्षकार क्र. 1 के प्रतिनिधि द्वारा उठाई गईं इसका विवरण देयक के साथ संलग्न करना होगा।

11. यह कि न्यूज प्रिन्ट भण्डारण का कार्य पक्षकार क्र. 2 को अपने व्यय पर करना होगा। भण्डारण में कागज की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी पक्षकार क्र. 2 की होगी। इस प्रक्रिया में अगर कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी पक्षकार क्र. 2 की होगी। कागज के भण्डारण और सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रभार पक्षकार क्र. 2 को पक्षकार क्र. 1 द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा।

12. यह कि पक्षकार क्र. 2 को 81/84 से.मी. (32 इंच/33 इंच) के न्यूज प्रिन्ट रोल का सकल वजन जिसमें माल्ट कोर पाईप एवं लकड़ी व रोल का आखिरी हिस्सा भी शामिल है के आधार पर न्यूज प्रिन्ट दिया जावेगा। इसके विरुद्ध पक्षकार क्र. 2 को शुद्ध वजन के आधार पर मुद्रित प्रतियां देना होंगी।

13. यह कि पक्षकार क्र. 2 को कागज व्यय का हिसाब देयक के साथ हर सप्ताह निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।

14. यह कि पक्षकार क्र.-1 के द्वारा पक्षकार क्र. 2 को दी गई सामग्री का उपयोग निजी सावधानी से करेगा। उक्त सामग्री की हानि या किसी प्रकार की खराबी की जिम्मेदारी पक्षकार क्र. 2 की होगी, अगर पक्षकार क्र. 2 उक्त सामग्री को किसी अन्य कार्य में उपयोग करता है तो पक्षकार क्र. 1 को यह अधिकार होगा कि वह पक्षकार क्र. 2 के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए या/और दण्डित करने के लिए कर सकता है।

15. यह कि पक्षकार क्र. 2 द्वारा प्रति सप्ताह समाचार पत्र के मुद्रण करने के बाद प्रतियां पक्षकार क्र. 1 के प्रतिनिधि को प्रदाय की जायेंगी और उसके बाद पक्षकार क्र. 1 को प्रत्येक अंक के लिये देयक दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा, जिस पर विहित प्रमाण-पत्र अंकित होंगे और कंडिका 13 में उल्लेखित कागज की खपत का साप्ताहिक लेखा संलग्न करना होगा। कागज व्यय का हिसाब देयक के साथ प्रति सप्ताह निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।

16. साप्ताहिक रोज़गार और निर्माण का प्रकाशन 48 पृष्ठों से अधिक होने की दशा में इसका मुद्रण एक से अधिक भागों में होगा। इस कारण जिस भाग का मुद्रण श्वेत श्याम रंग में होगा उसका भुगतान परिशिष्ट अ में दर्शायी गई सूची की दरों पर किया जावेगा।

17. यह कि देयक सभी दृष्टि से सही पाये जाने पर देयक प्राप्ति के 15 दिन में उक्त भुगतान पर लागू समस्त कर की कटौती करके पक्षकार क्र. 2 को क्रास चेक कर भुगतान करेगा।

18. यह कि पक्षकार क्र. 2 अनुबंध के निष्ठापूर्वक निष्पादन के लिए रुपये 5.00 लाख (रुपये मात्र पांच लाख) प्रतिभूति के रूप में पक्षकार क्र. 1 के पास रखेगा। उक्त जमा राशि में से समय-समय पर पक्षकार क्र. 2 द्वारा की गई क्षति एवं सामग्री का दुरुपयोग आदि का समायोजन भी किया जायेगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

19. यह कि पक्षकार क्र. 2 को स्वयं की मशीनों पर जो एक ही परिसर में स्थापित हों एवं स्वयं के कार्यस्थल जहां मशीनें स्थापित हैं तथा जिसका निरीक्षण पक्षकार क्र. 1 द्वारा किया जा चुका है, मुद्रण कार्य करना होगा। इसके उल्लंघन की दशा में करारनामा बिना कोई पूर्व सूचना दिये बिना निरस्त कर दिया जाएगा।

20. यह कि समाचार पत्र के दोषपूर्ण मुद्रण की दशा में पक्षकार क्र. 1 द्वारा त्रुटिपूर्ण/स्तरहीन प्रतियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। पक्षकार क्र. 2 को आदेशानुसार मुद्रित सभी प्रतियां रविवार को प्रातः 09.00 बजे तक प्रदाय करना होंगी। मुद्रण की गुणवत्ता स्तरीय नहीं होने की दशा में भी देयक से आनुपातिक कटौती की जायेगी। मुद्रण एवं प्रदाय में विलम्ब किये जाने की स्थिति में देयक में से निम्नानुसार कटौती की जायेगी :-

अ.	24 घंटे तक के विलम्ब पर	- संबंधित अंक के देयक का 30 प्रतिशत।
ब.	24 घंटे के बाद से 48 घंटे तक के विलम्ब पर	- देयक का 50 प्रतिशत।
स.	48 घंटे से अधिक विलम्ब होने पर	- मुद्रण कार्य के लिये कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

संबंधित देयक से कटौती न होने की स्थिति में अगले अंकों के देयकों में से कटौती की जायेगी।

21. यह कि पक्षकार क्र. 2 द्वारा कंडिका 20 के 'अ' से 'स' तक तीन माह में दो बार से अधिक विलम्ब से प्रतियों की पूर्ति करने पर या न्यूजप्रिन्ट आदि सामग्री का लगातार दो सप्ताहों तक समुचित लेखा न देने पर या संतोषजनक कार्य सम्पन्न नहीं करने की स्थिति में कोई पूर्व सूचना दिये बिना करारनामे को समाप्त करने का अधिकार पक्षकार क्र. 1 को होगा। उस दशा में पक्षकार क्र. 1 को पक्षकार क्र. 2 से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उस समय पक्षकार क्र. 2 के पास जो भी सामग्री आधिपत्य में होगी, तुरन्त पक्षकार क्र. 1 को लौटानी होगी।

22. यह कि उक्त अनुबंध दिनांक .... से .... तक की अवधि के लिए वैध होगा। मुद्रण कार्य संतोषजनक नहीं होने तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुबंध की अवधि कोई पूर्व सूचना दिये बिना समाप्त करने का अधिकार पक्षकार क्र. 1 को होगा। अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद मुद्रण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पक्षकार क्र. 2 को निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य करना होगा। पक्षकार क्र. 2 का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इस अनुबंध की अवधि में कमी भी की जा सकती है। अनुबंध की अवधि बढ़ाये जाने या अवधि कम करने की लिखित सूचना दो माह पूर्व दी जायेगी। दो माह पूर्व सूचना देना दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य होगा।

23. यह कि संलग्न निविदा विवरण तथा शर्तें निर्धारित सभी निबंध, प्रतिबंध तथा विवरण इस अनुबंध में विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाये जाने पर भी इस करारनामे का एक भाग माने जायेंगे।

24. यह कि अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे-दैवीय प्रकोप, प्राकृतिक विपदा, हड़ताल, दंगा आदि जिन पर पक्षकारों का नियंत्रण न हो, में पक्षकार क्र. 1 को समाचार पत्र की प्रतियां किसी भी अन्य मुद्रक से मुद्रित कराने की स्वतंत्रता होगी, जिसका अतिरिक्त व्ययभार पक्षकार क्र. 2 को वहन करना होगा। पक्षकार क्र. 2 किसी भी स्थिति में मुद्रण कार्य किसी अन्य को ठेके पर (sub contract) नहीं दे सकेगा।

25. माध्यम द्वारा कागज की आपूर्ति यथा समय की जायेगी, परन्तु यदि किसी अपरिहार्य कारण/दैवीय प्रकोप से कागज नहीं आ पाता है तो पक्षकार क्रमांक-2 को इमरजेंसी में कागज की व्यवस्था करनी होगी, जितना कागज आपात समय में लगाया जायेगा उसकी प्रतिपूर्ति पक्षकार क्रमांक-1 द्वारा की जायेगी।

26. यह कि पक्षकार क्र. 2 को मुद्रणालय क्षेत्र में कार्य करने के लिए पक्षकार क्र. 1 के 4 अधिकारियों को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था और पर्याप्त स्थान और टेलीफोन आदि की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

27. पक्षकार क्रमांक-2 को प्रति सप्ताह मुद्रण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं मुद्रण कार्य समाप्ति के तुरन्त बाद पक्षकार क्रमांक-1 के अधिकृत प्रतिनिधि को सूचना देना होगी।
28. पक्षकार क्रमांक-1 के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि कोई पूर्व सूचना दिये बिना वह किसी भी समय किसी भी अंक से समाचार पत्र के प्रकाशन को निरस्त/स्थगित कर सकेगा और किसी भी अंक की प्रतियां अथवा पृष्ठों की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी कर सकेगा।
29. पक्षकार क्रमांक-1 द्वारा जितनी प्रतियों के मुद्रण का आदेश दिया जायेगा उससे एक भी अधिक/कम प्रति का मुद्रण नहीं करने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक-2 की होगी। पक्षकार क्रमांक-2, पक्षकार क्रमांक-1 से प्राप्त आदेशानुसार मुद्रित समस्त प्रतियां पक्षकार क्रमांक-1 को उपलब्ध करायेगा।
30. यह कि समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार यदि मुद्रण एवं उससे संबंधित कार्यों की शर्तों में कोई संशोधन या सुधार (Improvement) की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की वार्ता के उपरांत आपसी सहमति से निर्णय लिया जाएगा एवं इसमें प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम का निर्णय अंतिम होगा।
31. यह कि न्यायालयीन कार्यवाही के लिए न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।
32. समाचार पत्र का मुद्रण कार्य संतोषजनक न होने पर तथा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त की अवहेलना करने पर कोई पूर्व सूचना दिये बिना अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जायेगी। किसी भी शर्त अथवा शर्तों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं इसका अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम का होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
33. इस करारनामा और/अथवा निविदा की शर्तों से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद को कोई भी पक्ष द्वारा एकमेव आर्बिट्रेटर को जो कि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम होंगे, प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा आर्बिट्रेटर द्वारा पारित किया गया अवार्ड/निर्णय दोनों पक्षों के लिये मान्य व बाध्यकारी होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही भोपाल में आर्बिट्रेशन एंड कौन्सिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न की जावेगी।
34. साप्ताहिक रोज़गार और निर्माण द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स, नई दिल्ली (RNI) एवं विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली (DAVP) को भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज/विवरणी आदि पर मुद्रक को मुद्रक की हैसियत से हस्ताक्षर करना होगा।

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को भोपाल में साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया ताकि समय पर काम आये।

साक्षी क्र. 1	....
....	....
....	....
....	**पक्षकार क्र. 1**

साक्षी क्र. 2	....
....	....
....	....
....	**पक्षकार क्र. 2**